रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित**

शिमला, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 1984/16 भाद्रपद, 1906

### हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 26 जून, 1984

संख्या पी. सी. एच-एच. ए(5)-47/76.—क्योंकि श्री किशोरी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड पावंटा, जिला सिरमौर जांच करने पर निम्नलिखित कृत्यों के लिए दोषी पाये गये हैं:—

1. पंचायत घर की आठ फुट चादरें चार तथा तीन व चार फुट लम्बी चादरें चार का दुरुपयोग करना,

2. सर्वश्री सियाराम, ब्रह्मा नन्द व जग्गी राम से मुकद्दमों की फीस मु० 40 रु० प्राप्त करना तथा उसका गबन करना,

3. राशन कार्डों की फीस मु० 311-00 रु० का गबन करना,

4. गृह कर राशि मु० 538 रु० का गबन करना,

5. मुरम्मत कुहल अम्बोआ हेतु स्वीकृत राशि में से मु० 423 रु० का गबन करना,

6. नगद शेष मु० 390 रु० का अनाधिकृत व गलत व्यय दर्शाना।

1348-राजपत्र/84-7-9-84—1,125.



मूल्य 20 पैसे।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री किशोरी लाल को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्य हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित किया जाय। उसका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर-2 जिलाधीश कांगड़ा को पहुंच जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते तथा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

---

शिमला-2, 26 जून, 1984

संख्या पी. सी. एच-एच.ए(5)-24/82.—क्योंकि श्री वद्री रत्न, प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत बरुआ, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के विरुद्ध रु0 17,296 रु0 22 पैसे, जो कि विभिन्न योजनाओं की प्राप्त हुई थी, के दिनांक 3-8-83 से 15 11-83 तक अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने का आरोप है;

और क्योंकि उक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत वद्री रत्न, प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोप की वास्तविकता जानने के लिए उप-सम्भागीय अधिकारी (ना), कल्पा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वे अपनी रिपोर्ट जिलाधीश किन्नौर को तीन मास के भीतर-2 प्रस्तुत कर देंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।